चैतन्य कॉलेज

पामगढ़, जिला - जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त

पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस

* एम.एस–सी.(बॉटनी)
* एम.एस–सी.(जुलॉजी)
* एम.एस–सी.(गणित)
* एम.एस–सी.(रसायन शास्त्र)
* एम.एस–सी.(कम्प्यूटर साइंस)
* एम.एस.-सी. (भौतिक शास्त्र)
* एम.एस.डब्ल्यू
* एम.ए. (भूगोल)
* एम.ए. (समाज शास्त्र)
* एम.ए. (हिन्दी साहित्य)
* एम.ए. (अंग्रेजी साहित्य)

ग्रेजुएट कोर्सेस

* बी.सी.ए.
* बी.ए.
* बी.बी.ए.
* बी.एस.सी.(बायो.)
* बी.कॉम.
* बी.एस.सी.(कम्प्यूटर साइंस)

* डी.सी.ए. * पी.जी.डी.सी.ए.

एज्युकेशन कोर्सेस

बी.एड.

कॉलेज कोड-115317

सरसहा रोड, पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

संपर्क : 07470384444, 09425540666, 09098155594, 09098178024

चैतन्य महाविद्यालय

पामगढ़, जिला - जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त

Visit Our Website

www.chaitanyapamgarh.org

chaitanyapamgarh@gmail.com

facebook.com/chaitanyaPamgarh/

+91-9425540666, 9713886911

Campus Address

Sasaha Road, Pamgarh
Distt. Janjgir-Champa (C.G.)
Pin 495554

9098888833, 7898606578

प्रवेश विवरणिका

Admission Brochure

या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरः, या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रम्हाच्युत शंकरप्रभृतिभिर्, देवैः सदावन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा॥

अध्यक्ष की कलम से

नवीन छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ ही प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में युवा वर्ग को समाज के आवश्यकता के अनुरूप मानव संसाधन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चैतन्य महाविद्यालय, पामगढ़ की स्थापना वर्ष 2001 में की गई।

हमें प्रसन्नता है कि अनवरत् श्रम एवं प्रयासों की क्रमबद्ध श्रृंखला से हम इस उद्दश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

स्थापना के साथ ही वर्ष दर वर्ष महाविद्यालय ने रोजगार परख पाठ्यक्रम एवं आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों के साथ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता का निरंतर पालन किया है।

हमारा यह प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा ......

वीरेन्द्र तिवारी
अध्यक्ष – शासी निकाय

प्राचार्य का संदेश

चैतन्य महाविद्यालय के नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं हेतु इस विवरणिका को तैयार किया गया है। महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम, शुल्क, संसाधन एवं विद्यार्थी आचरण संहिता की जानकारी विवरणिका में समाहित है।

इस विवरणिका में दिये गये जानकारी छत्तीसगढ़ शासन एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार परिवर्तनीय है। जिसकी सूचना समयानुसार विद्यार्थियों को दी जावेगी।

नवीन शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय में आपका स्वागत है।

डॉ. शरद के. वाजपेयी
प्राचार्य

हमारे स्मृति के पल...

महाविद्यालय में चैतन्य महोत्सव 2017 में माननीय श्री अमर अग्रवाल जी, मंत्री छ.ग. शासन एवं माननीय श्री अम्बेश जांगड़े जी, संसदीय सचिव

माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय के वीरेन्द्र तिवारी (अध्यक्ष, शासी निकाय) को पुरस्कृत करते हुये।

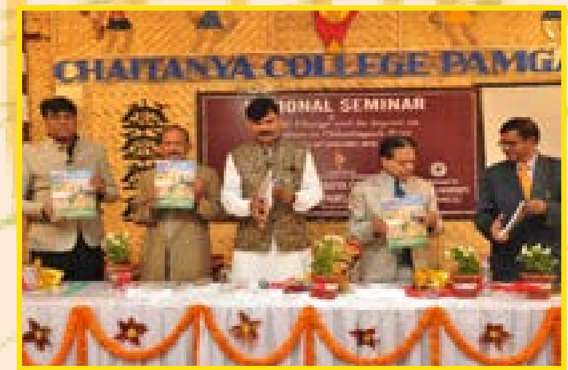

महाविद्यालय में आयोजित नेशनल सेमीनार के उद्घाटन अवसर पर श्री अम्बेश जांगड़े जी, संसदीय सचिव, छ.ग.शासन एवं प्रो.एन.डी.आर.चंद्रा, कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय

महाविद्यालय में आयोजित नेशनल सेमीनार के समापन अवसर पर मान्नीय प्रो.जी.डी. शर्मा, कुलपति, बिलासपुर वि.वि., बिलासपुर,प्रो. एम.एम.हम्बर्डे, डायरेक्टर सी.जी.कॉस्ट एवं प्राध्यापकगण

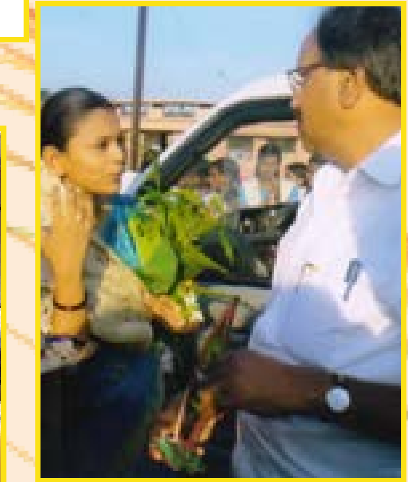

अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा स्पीक मैके के अंतर्गत महाविद्यालय में मनमोहक प्रस्तुति

बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओं कार्यशाला में श्रीमती हर्षिता पाण्डेय जी, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ शासन

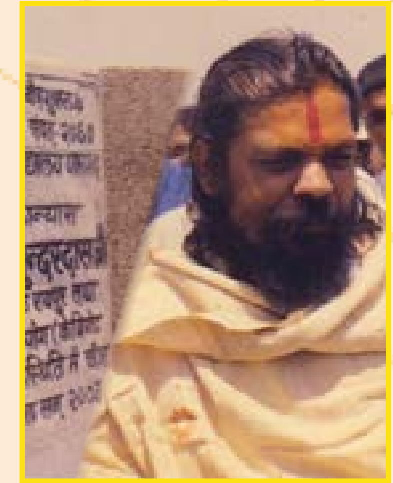

अंर्तमहाविद्यालयीन मलखम्ब, जिम्नास्टिक एवं क्रासकंट्री खेलकूद का सफल आयोजन

महाविद्यालयीन छात्रों द्वारा बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओं कार्यशाला में नाटक के माध्यम से प्रस्तुति

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) :

महाविद्यालय में रासेयो की 100 सदस्य वाली समन्वित इकाई, सत्र 2001 से कार्यरत है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी श्रमदान, पौधारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत एंव समयानुकूल समाज सेवा का कार्य करते है। रासेयो इकाई द्वारा एक दिवसीय विशेष शिविर एवं सात दिवसीय विशष शिविर का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय विकास में छात्रों के रचनात्मक सहयोग एवं ग्रामीण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

विद्यार्थी आचरण संहिता:

1. प्रत्येक विद्यार्थी का व्यवहार शिष्ट एवं विनम्र होना चाहिये ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों में पूर्ण निष्ठा, लगन तथा परिश्रम के साथ अपना दायित्व निर्वहन करना होगा ।
3. महाविद्यालय की संपत्ति/भवन/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/गमले की सुरक्षा, सुव्यवस्था, स्वच्छता में विद्यार्थियों की भागीदारी अनिवार्य है ।
4. महाविद्यालय परिसर में शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाये रखना अनिवार्य है ।
5. महाविद्यालय परिसर में पान, गुटका, तम्बाकू, गुड़ाखू एवं किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ पूर्णतः वर्जित है ।
6. कक्षा में मोबाइल फोन बंद रखना अनिवार्य है ।
7. प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र, ग्रंथालय कार्ड प्रतिदिन अपने साथ रखना एवं मांगे जाने पर तुरन्त प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
8. प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं से वंचित हो सकता है।

शुल्क विनिमय:

1. छत्तीसगढ़ बोर्ड एवं सी.बी.एस.ई. बोर्ड (ओपन स्कुल अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर) में 80 प्रतिशत प्राप्तांक 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को अध्यापन शुल्क 50 प्रतिशत मॉफ रहेगी।
2. एक बार कोई शुल्क जमा होने के बाद किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा ।
3. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र में सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
4. छात्राओं को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरुप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के नाम जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिये अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा ।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व महाविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा ।

प्रवेश की पात्रता एवं नियम :

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक योग्य आवेदक को महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता है। नवीन प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंको से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र-छात्राओं को निर्धारित तिथि तक प्रवेश दिया जायेगा । स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही स्वाध्यायी या बाहय विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा बी.एड. प्रवेश हेतु 20 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय स्तर कोटे की हैं, जिसमें राज्य के बाहर के भी उम्मीद्वार प्रवेश ले सकते हैं शेष 80 प्रतिशत सीटें छत्तीसगढ़ के उम्मीद्वारों के लिए है। परन्तु छत्तीसगढ़ के पर्याप्त उम्मीद्वार न मिलने पर अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है!

आरक्षण : छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ।

शुल्क विवरण

स.क्र.	संकाय एवं कक्षा	न्यूनतम अर्हता	परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व निम्नलिखित राशि देय होगा							प्रवेश के समय देय राशि
			अध्यापन शुल्क	वि.वि. और न्यास निधि	विकास निधि	भवन और फर्नीचर	खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक	प्रयोगशाला उपकरण रखरखाव	शैक्षणिक भ्रमण एवं अन्य	
1.	बी.ए.	मान्यता प्राप्त बोर्ड	1550	100	300	400	150	0	0	2500
2.	बी.एस.सी. बायोलाजी	या वि.वि. से	3200	100	300	400	150	350	0	4500
3.	बी.एस.सी. गणित / कम्प्यूटर	12वीं पास	4200	100	300	400	150	350	0	5500
4.	बी.काम.	---"---	1550	100	300	400	150	0	0	2500
5.	बी.बी.ए.	---"---	4200	100	300	400	150	0	350	5500
6.	बी.सी.ए.	---"---	7500	100	300	400	150	550	0	9000
7.	डी.सी.ए.	---"---	5500	100	300	400	150	1050	0	7500
8.	पी.जी.डी.सी.ए.	स्नातक किसी भी	6000	100	300	400	150	1050	0	8000
9.	एम.ए. भूगोल	मान्यता प्राप्त	4200	100	150	200	150	200	0	5000
10.	एम.ए. हिन्दी	वि.वि. से पास	3150	100	150	200	150	0	0	3750
11.	एम.ए. अंग्रेजी	---"---	4400	100	150	200	150	0	0	5000
12.	एम.ए. समाजशास्त्र	---"---	3150	100	150	200	150	0	0	3750
13.	एम.एस. डब्ल्यू	---"---	6550	100	150	200	150	0	350	7500
14.	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र	---"---	9200	100	150	200	150	200	0	10000
15.	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	---"---	8200	100	150	200	150	200	0	9000
16.	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	---"---	8200	100	150	200	150	200	0	9000
17.	एम.एस.सी. गणित	---"---	6900	100	150	200	150	0	0	7500
18.	एम.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस	---"---	9200	100	150	200	150	200	0	10000
19.	एम.एस.सी. भौतिक शास्त्र	---"---	9200	100	150	200	150	200	0	10000
20.	बी.एड.	---"---	------ शुल्क नियामक आयोग द्वारा निर्धारित ------							

नोट – 1. स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर पर प्रायोगिक शुल्क प्रति विषय 500/– अतिरिक्त देय होगा। 2. स्नातकोत्तर एवं पी.जी. डिप्लोमा स्तर पर प्रायोगिक शुल्क प्रति विषय 1000/– अतिरिक्त देय होगा।

अध्यक्ष प्रशासन समिति द्वारा अनुमोदित।

प्राचार्य

सफलता का कोई रहस्य नहीं है। सफलता सिर्फ मेहनत चाहती है ।

सुविधायें एवं संसाधन

योग्य प्राध्यापक :

योग्य, अनुभवी एवं धारा 28 में नियुक्त स्थायी प्राध्यापक गण ।

पुस्तकालय :

महाविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के लगभग 10325 पुस्तकें है ।

1. छात्र-छात्राओं को पुस्तक प्राप्त करने हेतु ग्रंथालय में अपना नाम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए वे महाविद्यालय का परिचय एवं पासपोर्ट साईज के दो फोटो प्रस्तुत करेंगे।
2. विद्यार्थियों को एक सप्ताह में एक बार में दो पुस्तकें निर्गमित की जायेगी।
3. वाचनालय में समयानुकूल पत्र, पत्रिकाएं, सामान्य ज्ञान एवं अन्य रूचि की उत्तम पुस्तकें पढ़ने हेतु उपलबध रहती है।
4. विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त वर्तमान सत्र का परिचय पत्र एवं लाइब्रेरी कार्ड दिखाने पर ही पुस्तकें निर्गमित की जावेगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व समस्त पुस्तकें जमा करके अदेय प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।
5. पुस्तकें निर्धारित समय पर वापस नहीं किये जाने पर 2 रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड देय होगा।

समृद्ध प्रयोगशाला :

महाविद्यालय में पूर्णतः सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोगशाला के साथ-साथ रसायन, भौतिक, वनस्पति, जीव विज्ञान, भूगोल एवं संगीत यंत्रों से परिपूर्ण प्रयोगशाला स्थापित है, जिसका उपयोग निरंतर छात्र-छात्राओं द्वारा किया जाता है।

स्मार्ट क्लास :

आडियो-विजुअल माध्यम से कठिनतम विषयों का सरल ढंग से अध्यापन।

सांस्कृतिक समूह निर्माण :

संपूर्ण महाविद्यालयीन छात्र-छात्रा अध्यापक एवं कर्मचारीगण चार समूहों – **Explorers, Challengers, Achievers, Winners** में संगठित होकर वर्ष भर के सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित करती है।

महाविद्यालयीन आंतरिक परीक्षा :

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली आंतरिक परीक्षा त्रैमासिक एवं छैमाही परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है। पूर्व अनुमति एवं पर्याप्त कारण के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थिति दण्डनीय होगा ।

छात्रवृत्ति :

शासन द्वारा छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों को शासन के नियमानुसार बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान किया जायेगा।

सायकल स्टैण्ड :

महाविद्यालय परिसर में सायकल स्टैण्ड की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थी को सायकल स्टैण्ड में ही सायकल रखना अनिवार्य है। अन्य स्थान पर सायकल रखना महाविद्यालय अनुशासन के विपरीत कार्य माना जावेगा । प्रत्येक सायकल/मोटर सायकल/मोपेड, स्कूटर आदि में ताला होना अनिवार्य है ।

खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा:

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ छात्रों के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा नितांत आवश्यक है, अतः महाविद्यालय का यह प्रयास रहा है कि वह अपने खिलाड़ियों को यथासंभव अधिकतम खेल सुविधा प्रदान कर सके। अंचल में बास्केट बाल को प्रोत्साहन करने हेतु 'चैतन्य चॉपर्स' के नाम से फेन्चाईजी लेना।

महाविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों को मल्लखम्भ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, कुश्ती, फुटबॉल, व्हालीबॉल, बास्केटबॉल, हैण्डबाल, नेटबॉल, साफ्टबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी एवं जिमनास्टिक आदि खेलों की सुविधा प्रदान की जाती है।

पर्यावरण संचेतना :

प्रत्येक विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण में व्यक्तिगत रूचि से संलग्न रहेगा एवं परिसर सज्जा सौंदर्यीकरण में सहभागी रहे उसके लिये समय-समय पर छात्र-छात्राओ द्वारा पौधा भी रोपा जाता है । प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिये संलग्न होना अनिवार्य है । (वृक्ष मित्र बनायें)

छात्र संघ :

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा संचालनालय एवं राज्य विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार छात्रसंघ की गतिविधिया संचालित रहेगी।

प्राथमिक उपचार :

महाविद्यालय में प्राथमिक उपचार हेतु व्यवस्था निर्मित है एवं स्थानीय डाक्टरों द्वारा समय-समय पर जांच शिविर।

परिचय पत्र :

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के तत्काल बाद अपना परिचय पत्र संबंधित प्रभारी से अनिवार्यतः प्राप्त करें और उसे हमेशा अपने साथ रखें। परिचय पत्र खो जाने पर उसकी लिखित सूचना दें और थाने में रिपोर्ट करें । रिपोर्ट की प्रति और 50.00 रूपये शुल्क देने पर हीं दूसरा परिचय पत्र जारी होगा। महाविद्यालय परिसर में आयोजित विविध गतिविधियों/ कार्यक्रमों/ अवसरों पर प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र रखना होगा ।